लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chdpr.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 8 फरवरी–चण्डीगढ़ के जिलाधिकारी श्री आर0के0 राव ने रेस्टोरेंट, डिस्को, क्लबों, सार्वजनिक स्थलों व रोड के किनारे बैठने वाले दुकानदारों पर देर रात तक व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि केन्द्रशासित प्रदेश चण्डीगढ़ में रोड के किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर ऐसी व्यापारिक गतिविधियां रात 1.00 बजे से प्रातः 4.30 बजे तक प्रतिबन्धित रहेंगी। यह प्रतिबन्ध अगले 60 दिनों तक अर्थात 11 फरवरी से 10 अप्रैल 2008 तक लागू रहेगा।

हालांकि यह आदेश होटलों में काफी की दुकानों, हास्पिटलों, दवा की दुकानों और पेट्रोल पम्पों पर लागू नहीं होगा। शनिवार और रविवार को रेस्टोरेंट, डिस्को व क्लब देर रात 2.00 बजे तक खोले जा सकेंगे। साईबर कैफे प्रत्येक दिन देर रात 2.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।